<u>न्यायालय– अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डीडवाना।</u>

पीठासीन अधिकारी – **राजेश कुमार गजरा, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश सवंर्ग)

<u>फौजदारी अपील सं.– 106/2019</u>
<u>सी एन आर नम्बर – RJDK010008682019</u>

लोड़की देवी पत्नी स्वर्गीय बिरमाराम, उम्र 67 वर्ष, निवासी पालोट, पुलिस थाना–डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन (राजस्थान)

––––अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन
2. रामस्वरूप पुत्र नारायणराम उम्र 57 वर्ष
3. हेमाराम पुत्र नारायणराम उम्र 55 वर्ष, निवासीगण पालोट, डीडवाना, पी एस, डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन (राजस्थान)
4. कानाराम पुत्र रामधन उम्र 62 वर्ष, निवासी रताऊ, पुलिस थाना, लाडनूं, जिला डीडवाना–कुचामन

––प्रत्यर्थीगण

<u>फौजदारी अपील सं.– 61/2021</u>
<u>सी एन आर नम्बर – RJDK010007272021</u>

राजस्थान राज्य

––––अपीलार्थी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र नारायणराम उम्र 45 वर्ष
2. हेमाराम पुत्र नारायणराम उम्र 50 वर्ष, निवासीगण पालोट, डीडवाना, पी एस, डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन (राजस्थान)
3. कानाराम पुत्र रामधन उम्र 50 वर्ष, निवासी रताऊ, पुलिस थाना, लाडनूं, जिला डीडवाना–कुचामन

––प्रत्यर्थीगण

<u>फौजदारी अपील अन्तर्गत धारा 378 दं.प्र.सं. विरूद्व निर्णय दिनांक 25.09.2019 द्वारा श्री नारायण प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना द्वारा फौजदारी मूल प्रकरण सं० 174/2017 राज. राज्य बनाम रामस्वरूप वगैरह, अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.दं.सं. में पारित किया गया, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा रामस्वरूप, हेमाराम और कानाराम को उक्त अपराधों के तहत दोषमुक्त घोषित किया गया।</u>

उपस्थितिः–

1. श्री हाकम अली एवं श्री विक्रम कुड़ी, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी लोड़की देवी की ओर से।

2. श्री महावीर प्रसाद चतुर्वेदी, विद्वान अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

3. श्री राजेन्द्र कुमार माथुर, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तगण

निर्णय

दिनांकः– 08.04.2026

1. विद्वान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना (जिसे आगे विचारण न्यायालय के नाम संबोधित किया जायेगा) के द्वारा फौजदारी मूल प्रकरण सं० 174/2013 राज. राज्य बनाम रामस्वरूप वगैरह, अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.दं.सं. में दिनांक 25.09.2019 को आलोच्य निर्णय पारित कर अभियुक्त/प्रत्यर्थी रामस्वरूप, हेमाराम और कानाराम को धारा धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.दं.सं. के तहत दोषमुक्त घोषित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/परिवादीया लोड़की देवी और राज्य की ओर से यह दो अपीलें प्रस्तुत की गई हैं । उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

2. अपील के सलंग्न विचारण न्यायालय की पत्रावली में वर्णितानुसार के प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 05.06.2012 को परिवादिया लोडकी देवी ने विचारण न्यायालय में एक परिवाद आरोपीगण के विरुद्ध, इस आशय का पेश किया कि परिवादिनी के पति बिरमाराम का स्वर्गवास वर्ष 2004 में हो चुका है एवं यह ग्राम पालोट में अपने जेठ किसनाराम आदि के शामलाती गवाड़ी में रहती है। परिवादिनी के पति के नाम से ग्राम पंचायत पालोट से पट्टा सं.28 मिसल सं.2/1965–66 दिनांक 13.08.1985. पट्टा सं. 257 मिसल सं. 11/82–83 दिनांक 05.05.1983 एवं परिवादिनी के ससुर स्वर्गीय हरदीनराम के नाम का मकान गुवाडी का पट्टा सं 34 मिसल सं.52/61–62 दिनांक 24.09.1961 के जरिये किरो हुए हैं जिनमें पदट्टा सं. 28 व 257 की भूमि परिवादिनी के पति एवं उसका तथा पट्टा सं. 34 पर परिवादिनी व उसके जेठ किसनाराम का रहवासी कब्जा शामलाती चला आ रहा है। परिवादिनी अनपढ़ भोली भाली वृद्ध स्त्री है तथा उसका भतीजा अभियुक्त सं.३ व अभियुक्त सं.1 दिनांक 18.05.12 को ग्राम पालोट में उसके पास आये व कहा कि तुम्हारी पेंशन वृद्धि 500/– रूपये से 1,000 /– रूपये करवानी है, डीडवाना चलो तो परिवादिनी उनके साथ डीडवाना आ गई और उन्होंने दिनांक 18.06. 12 को पेंशन बढ़ाने का मुगालता देकर परिवादिनी के कागजों पर अंगुठे करवा लिये एवं डीडवाना कचहरी में एक टाईप करने वाले के पास उसके अंगुठे करवाये और इसके दो तीन दिन पश्चात् गावः में यह चर्चा आम हो गई कि प्रार्थीनी ने अपने पति के पट्टों की भूमि, खेत की भूमि व शामलाती गुवाडी रामस्वरूप को बेच दी है। तब प्रार्थीनी ने अपने जेठ व उनके बेटों से इसका जिक्र किया तो वह उसे डीडवाना लेकर आये और तहसील में पता किया

तो पता चला कि परिवादिनी की सम्पूर्ण जमीन मोहरे की जमीन, शामलाती गुवाडी की जमीन व खेत की जमीन की रजिस्ट्री परिवादिनी के भतीजे कानाराम से सांठ–गांठ कर उक्त रामस्वरूप ने अपने नाम रजिस्ट्रियाँ करवा ली। विनांक 22.05.12 को उक्त रजिस्टरियों की नकले परिवादिनी ने प्राप्त की। अभियुक्त रामस्वरूप अपने नाम म्यूटेशन न करया से इसलिए परिवादिनी ने तुरन्त न्यायालय ए.सी.ई.एम.कोर्ट, डीडवाना में रेवेन्यू दावा करके स्थगन प्राप्त कर लिया। उक्त रजिस्ट्रीयों की नकल लेने से यह भी पता चला कि उक्त भूमियों से संबंधित आवासीय पट्टे असल सौंपने का रजिस्ट्री में उल्लेख किया हुआ है जबकि असल पट्टे परिवादिनी वो पास है और उनको अभियुक्तगण को सुपुर्द करने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता क्योंकि न तो परिवादिनी ने कोई रजिस्ट्रियाँ रामस्वरूप के हक में करवाई और न ही प्रतिफल की राशि उनसे प्राप्त की और न ही किसी प्रकार का कब्जा ही सुपुर्द किया। परिवादिनी के जेठ के लड़के कुम्भाराम ने उप–पंजीयक कार्यालय, तहसील डीडवाना से पता किया तो पता चला कि उक्त आवासीय भूमियों के साथ की रजिस्ट्रीयों के साथ फर्जी तैयार की गई पट्टों की फोटो कॉपियां रजिस्ट्री के संलग्न की है। अभियुक्त सं. 3. हेमाराम पूर्व में पालोट का सरपंच रह चुका है तथा रामस्वरूप अभियुक्त सं.1 इसका छोटा भाई है। दोनों भाईयों ने मिलकर फर्जी पट्ट तैयार कर उनकी नकलें रजिस्ट्री के साथ संलग्न की है जो रजिस्ट्री कार्यालय में परिवादिनी के जेठ के लड़के कुम्भाराम ने देखी है। इस प्रकार इसका असल फर्जी दस्तावेज अभियुक्त सं.1 व 3 के पास होना चाहिए और उक्त फर्जी पटटे इन दोनों अभियुक्तगण से बरामद करवाने आवश्यक हैं। इस प्रकार अभियुक्त सं.1 रामस्वरूप व अभियुक्त सं.3 हेमाराम ने फर्जी पट्टों की कूटरचना कर कूटरचित दस्तावेज रजिस्ट्री कार्यालय में पेश कर उक्त प्रकार से फर्जी रजिस्ट्रियाँ परिवादिनी को सदोष हानि व स्वयं को सदोष लाभ पहुंचाने के लिए तथा परिवादिनी को उसकी सम्पति से वंचित करने के उद्देश्य से किये है तथा तीनों अभियुक्तग्रण ने मिलकर साजिशाना तौर पर परिवादिनी के साथ धोखाधड़ी की एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनका उपयोग किया है... इत्यादि ।

3. उक्त परिवाद को विचारण न्यायालय द्वारा धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जांच हेतु थानाधिकारी, पुलिस थाना, डीडवाना को प्रेषित किया गया। जहां पर एफ.आई.आर.संख्या 110/12, अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.दं.सं. में पंजीबद्ध हुई। बाद अनुसंधान पुलिस थाना, डीडवाना ने अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.दं.सं. के अपराध में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

4. विचारण न्यायालय द्वारा बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी, के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने अपराध से अस्वीकार किया और अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू 1–मांगीलाल, पी.डब्ल्यू 2 हणुताराम, पी. 3 अर्जुनराम, पी.डब्ल्यू 4 अन्नाराम, पी.डब्ल्यू 5 लोड़ीदेवी, पी.डब्ल्यू 6 ओमप्रकाश, पी.डब्ल्यू 7 अडिनराम, पी.डब्ल्यू 8 कुंभाराम्, पी.डब्ल्यू 9 गिराधारीराम, पी.डब्ल्यू 10 सुखाराम, पी.डब्ल्यू 11 मेघाराम्, पी.डब्ल्यू 12 दुलाराम, पी.डब्ल्यू 13 राकेश, प्रदर्श पी 14 मोहनराम, पी.डब्ल्यू 15 झूमरराम,पीडब्ल्यू 16 गणेशाराम, पी. डब्ल्यू 17 पोकरराम, पी डब्ल्यू 18 राहदेव पी. डब्ल्यू 19 महेन्द्र कुमार, पी. डब्ल्यू 20 सुरेश, पी डब्ल्यू 21 श्यामसुन्दर, पीडब्ल्यू 22 भीष्मराज आर्य, पी. डब्ल्यू 23 महेन्द्र कुमार को परीक्षित कराया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श पी 1 नक्शा मौका, प्रदर्श पी 2 इस्तगासा, प्रदर्श पी 3 चाक एफ आई आर, प्रदर्श पी 4 हरदीनाराम के नाम से जारी मूल पट्टा, प्रदर्श पी 5 परिवादीया के पति के नाम पट्टे की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श पी 6 पट्टा नं. 28, प्रदर्श पी 7 लगायत 10 मूल रजिस्ट्रियाँ, प्रदर्श पी 11 लगायत प्रदर्श पी 13 कथित फर्जी पट्टे, प्रदर्श पी 14 (प्रदर्श पी 27) फर्द जप्ती पट्टे, प्रदर्श पी 15 प्रार्थना पत्र की नकल हेतु दी गई तहरीर, प्रदर्श पी 16 प्रार्थना पत्र का जवाब प्रदर्श पी 17 पट्टा सं.34 जो हरदीनराम से संबंधित सम्पूर्ण मूल मिसल क्र.सं. 280 लगायत 285 तक, प्रदर्श पी 18 बीरमाराम के चबूतरी का पट्टा से संबंधित सम्पूर्ण मूल मिसल क्र.स. 296 से 291, प्रदर्श पी 19 बीरमाराम की जमीन का पट्टा से संबंधित सम्पूर्ण मूल मिसल क.सं. 202 से 298 तक, प्रदर्श पी 20 किशनाराम व बिरमाराम के मकान के पट्टे से संबंधित सम्पूर्ण मूल मिसल क्र.सं. 299 से 305, प्रदर्श पी 21 बीरमाराम की कब्जासुदा जमीन का पट्टा से संबंधित सम्पूर्ण मूल मिसल क्र.सं. 306 से 312, प्रदर्श पी 22 पट्टा सं.33 से संबंधित सम्पूर्ण मूल मिसल क्र. सं. 313 से 318, प्रदर्श पी 23 पट्टा सं. 35 जो हरदीनराम से संबंधित सम्पूर्ण मूल मिसल क्र. 319 से 324. प्रदर्श पी 24 तहरीर, प्रदर्श पी 25 हेमाराम द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र की फर्द जप्ती व प्रदर्श पी 26 मूल प्रार्थना पत्र, प्रदर्श पी 27 फर्द जप्ती एक मूल पट्टा व दो पट्टों की प्रमाणित प्रतियां, प्रदर्श पी 28 व 29 फर्द गिरफ्तारी मुलजिमान रामस्वरूप व कानाराम, प्रदर्श पी 30 फर्द जप्ती रजिस्ट्री, प्रदर्श पी 31 अग्रेषण पत्र, प्रदर्श पी 32 प्राप्ति रसीद, प्रदर्श पी 33 लगायत 59 आरोपी हेमाराम के नमूना हस्ताक्षर, प्रदर्श पी 60 लगायत 113 आरोपी कानाराम व रामस्वरूप के नमूना हस्ताक्षर, प्रदर्श पी 114 पुलिस बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. गवाह श्यामसुन्दर, प्रदर्श पी 115 व 116 एफ.एस.एल. रिपोर्ट, प्रदर्श पी 117 अग्रेषण पत्र, प्रदर्श पी 118 प्राप्ति रसीद को प्रदर्शित कराया गया।

6. अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत किया गया जिसमें उन्होंने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना, स्वयं के निर्दोष होना तथा झूठा फसाया जाना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा। बचाव पक्ष ने अपने समर्थन में प्रदर्श डी 01, प्रदर्श डी 02 एवं प्रदर्श डी 03 प्रदर्शित करवाए हैं ।

7. तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने उभय पक्ष की बहस सुनते हुए आलोच्य निर्णय दिनांक 25.09.2019 को पारित करते हुए अभियुक्त/प्रत्यर्थी रामस्वरूप, हेमाराम और कानाराम को धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.दं.सं. के तहत दोषमुक्त घोषित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/परिवादीया लोड़की देवी और राजस्थान राज्य की ओर से यह अपीले प्रस्तुत की गई हैं ।

8. बहस अपील सुनी। दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन किया गया कि इस प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय दिनांक 25.09.2019 को पारित किया गया था तथा उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के उपरांत अपील प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक विभागीय अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही में स्वाभाविक रूप से समय व्यतीत हुआ, जिसके कारण अपील संख्या 61/2021 को प्रस्तुत करने में विलंब हुआ। यह भी निवेदन किया गया कि उक्त विलंब जानबूझकर नहीं किया गया है, बल्कि प्रशासनिक एवं विभागीय प्रक्रिया के कारण हुआ है, अतः विलंब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित होगा।

9. प्रस्तुत तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के संबंध में संतोषजनक एवं युक्तिसंगत कारण दर्शाये गये हैं। विलंब न तो जानबूझकर किया गया है और न ही किसी प्रकार की लापरवाही का परिणाम प्रतीत होता है, अपितु यह विभागीय प्रक्रिया के कारण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुआ है। विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि तकनीकी आधारों पर न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए तथा मामलों का निस्तारण यथासंभव मेरिट के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। अपील संख्या 61/2021 से पूर्व ही नियत समयावधि में परिवादीया द्वारा धारा 372 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपील प्रस्तुत की गई है । ऐसे में अपील में मियाद अवधि को क्षम्य करने से प्रत्यर्थीगण को कोई क्षति नहीं होगी । अतः धारा 5 मियाद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। परिणामतः अपील को मेरिट के आधार पर विचारार्थ ग्रहण किया जाकर उसके निस्तारण हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाती है।

10. दौराने बहस अंतिम विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी लोड़की देवी एवं राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए न्यायालय से यह निवेदन किया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.2019 को पारित दोषमुक्ति का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित एवं संतुलित मूल्यांकन किये बिना पारित किया गया है। हस्तगत मामले में प्रदर्श पी 11, 12 एवं 13 कूटरचना से संबंधित दस्तावेज हैं, जिसके संबंध में प्रदर्श पी 26, जो कि

हेमाराम द्वारा लिखित दस्तावेज है । जो कि प्रदर्श पी 11, 12 एवं 13 हेमाराम द्वारा प्राप्त किए गए हैं, उसपर विचारण न्यायालय ने कोई विचार नहीं किया है तथा दोषमुक्ति का निर्णय पारित किया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है । अतः समस्त परिस्थितियों, साक्ष्यों एवं विधिक सिद्धांतों के सम्यक् परीक्षण से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का निर्णय अवैध, त्रुटिपूर्ण एवं न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। इसलिए यह निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है और अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120–बी के अंतर्गत दोषसिद्ध घोषित कर विधि अनुसार दण्डित किया जाना ही न्यायोचित होगा।

11. वहीं दूसरी ओर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण/प्रत्यर्थीगण ने निवेदन किया है कि परिवादीया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाई गई है, वह झूठे तथ्यों के आधार पर लिखवाई गई है । परिवादीया ने अपने इस्तगासे में यह उल्लेखित किया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसे पेंशन बढ़ाने के लिए बरगलाकर ले जाया गया और उससे रजिस्ट्रियों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए तथा उक्त रजिस्ट्रियों को प्रस्तुत करने हेतु कूटरचित पट्टे प्रस्तुत किए गए । जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष पेंशन से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुए हैं कि पूर्व में पेंशन परिवादीया को मिल रही थी या नहीं । इसके अतिरिक्त प्रदर्श पी 7 लगायत 10 रजिस्ट्रियों पर स्वयं परिवादीया ने अपनी अंगूठा निशानी होना स्वीकार किया है । साथ ही उसी रोज, जिस दिन रजिस्ट्रियां प्रदर्श पी 7 लगायत 10 निष्पादित की गई थी, उसी दिन गिरधारीलाल के पक्ष में परिवादीया ने एक रजिस्ट्री निष्पादित की गई थी, जो प्रदर्श डी 01 है, जिसे परिवादीया ने चैलेंज नहीं किया है। अतः अभियुक्तगण परिवादीया को घर से पेंशन हेतु लेकर नहीं आए थे । परिवादीया उस रोज पूर्व से ही रजिस्ट्री कराने हेतु आई हुई थी । ऐसे में परिवादीया के कथन असत्य हैं । केवल मात्र प्रदर्श पी 26 पर हेमाराम के हस्ताक्षर होने से यह साबित नहीं होता है कि हेमाराम को प्रदर्श पी 11 लगायत 13 पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा सुपुर्द किए गए हों । इसके अतिरिक्त रजिस्ट्री प्रदर्श पी 07 लगायत 10 को प्रमाणित करने वाले उप–पंजीयक अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट कथन किया है कि पट्टे परिवादीया लोड़की देवी ने ही प्रस्तुत किए थे । इसके अतिरिक्त कोई विवादित पट्टे की बरामदगी नहीं हुई है तथा फोटो प्रतियों के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है । उक्त प्रदर्श पी 11 लगायत 13 अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत किए गए हों, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है । विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के विस्तृत विवेचन करते हुए आलोच्य निर्णय पारित करते हुए अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120–बी के आरोपों से दोषमुक्त किया गया है, जिसमें विधि एवं तथ्यों की कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 25.09.2019 की पुष्टि की जावे ।

12. हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यह विधि की सुस्थापित स्थिति है कि दोषमुक्ति के निर्णय को केवल विशेष परिस्थितियों में ही परिवर्तित किया जाना चाहिए । जहाँ यह स्पष्ट साक्ष्य हो कि दोषमुक्ति करने वाले न्यायिक अधिकारी द्वारा अयुक्तियुक्त निर्णय बिना किसी कारण के पारित किया गया हो तथा यदि अपील न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अयुक्तियुक्त तरीके से निर्णय पारित किया गया है, केवल उन्हीं कारणों के आधार पर दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करना चाहिए । न्यायालय के इस मत का समर्थन निम्नलिखित न्यायिक नजीर से होता है–

In Shivaji Sahebrao Bobade vs. State of Maharashtra (AIR 1973 SC 2622), it was observed by Hon'ble Supreme Court that,

> "What may be called the golden thread running through all these decisions is the rule that in deciding appeals against acquittal the Court of Appeal must examine the evidence with particular care, must examine also the reasons on which the order of acquittal was based and should interfere with the order only when satisfied that the view taken by the acquitting Judge is clearly unreasonable. Once the appellate court comes to the conclusion that the view taken by the lower court is clearly an unreasonable one that itself is a "compelling reason" for interference. For, it is a court's duty to convict a guilty person when the guilt is established beyond reasonable doubt, no less than it is its duty to acquit the accused when such guilt is not so established."

13. अतः उक्त अपील के निस्तारण हेतु विचारणीय बिंदु यह है किः–

14. **"क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनांक 25.09.2019 बाबत् दोषमुक्ति पारित करने में तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि की है, या नहीं ?"**

15. सुना गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत मामले में अभियोजन की कहानी मुख्य रूप से अभियोक्त्रि लोड़की देवी पी डब्ल्यू 05 की साक्ष्य पर टिकी हुई है । लोड़की देवी ने अभियुक्तगण के पक्ष में स्पष्ट कथन किया है कि जो रामस्वरूप के पक्ष में रजिस्ट्री प्रदर्श पी 07 लगायत प्रदर्श पी 10 कराई गई हैं, उस पर उसकी अंगूठा निशानी है । अभियोक्त्रि ने अपनी साक्ष्य में यह भी

स्वीकार किया है कि वह उस दिन रजिस्ट्री करवाने के लिए एक ही बार डीडवाना आई थी। यह भी स्वीकार किया है कि उसने उसी दिन गिराधारीराम की भी रजिस्ट्री कराई थी, जो कि सुबह दस बजे कराई थी तथा गिरधारीराम की रजिस्ट्री प्रदर्श डी 01 है, जिसमें गवाही अभियुक्त कानाराम ने दी थी। पी डब्ल्यू 09 के रूप में गिरधारीराम ने न्यायालय के समक्ष परीक्षित होकर अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसकी रजिस्ट्री करीब दो बजे हुई थी। यह प्रकरण में स्वीकृत स्थिति है कि अभियोजन पी़डिता के पाँच सौ रुपए पेंशन चलने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करवा पाया है। ऐसे में पी़डिता उस दिन गिरधारीराम के पक्ष में रजिस्ट्री करवाती है, जो कि प्रदर्श डी 01 है तथा अभियुक्त रामस्वरूप के पक्ष में रजिस्ट्री प्रदर्श पी 07 लगायत 10 करवाती है तथा अभियुक्तगण पर यह आरोप लगाती है कि उसे पेंशन बढ़ाने के बहाने लेजाकर उससे रजिस्ट्री निष्पादित करवा दी गई। यह तथ्य गले नहीं उतरता है कि उसी दिन पी़डिता प्रदर्श डी 01 रजिस्ट्री गिरधारीराम के पक्ष में निष्पादित करवाती है तथा एक बार ही डीडवाना आने का कथन करती है तथा यह भी कथन करती है कि उसे पेंशन बढ़ाने का कथन करते हुए मुलजिमान प्रदर्श 7 लगायत प्रदर्श 10 रजिस्ट्रियां निष्पादित करवा ली। उक्त विरोधाभास इस प्रकृति का है, जो पी़डिता के साथ हुए छल की प्रकृति पर संदेह उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त उक्त सभी रजिस्ट्रियों के कूटरचित होने के संबंध में कोई भी आधार न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं है।

16. जहाँ तक रजिस्ट्रियां करवाते समय अभियुक्तगण द्वारा प्रदर्श पी 11, 12 एवं 13 तथाकथित फर्जी पट्टे प्रस्तुत करने का प्रश्न है तथा प्रदर्श पी 26 के आधार पर उक्त पट्टे प्राप्त करने का आरोप है, इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पी़डिता के पट्टा संख्या 34, 257 एवं 28 प्रदर्शित हुए हैं, जो कि प्रदर्श पी 04, 05, 06 हैं, जिसमें से प्रदर्श पी 05 और 06 फोटो प्रतियां हैं। प्रदर्श पी 11, 12 एवं 13 पट्टे मुलजिमाान ने प्रस्तुत किए हों, इस संबंध में उप–पंजीयक पी डब्ल्यू 19 महेन्द्र कुमार मीणा की साक्ष्य महत्वपूर्ण है, जिसने अपनी जिरह में स्पष्ट कथन किया है कि रजिस्ट्री प्रदर्श पी 7 से प्रदर्श पी 10 की निष्पादित कर्ता लोड़की देवी ने उसके समक्ष यह स्वीकार किया था कि उसके द्वारा रकम **(प्रतिफल)** प्राप्त कर ली थी एवं कब्जा प्राप्त कर लिया था। **इसके अतिरिक्त यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 07 लगायत प्रदर्श पी 10 में जिन पट्टों का हवाला है, वे लोड़की देवी द्वारा प्रस्तुत किए गए थे,** ऐसे में उक्त तथाकथित कूटरचित पट्टे पदर्श पी 11 लगायत 13 अभियुक्तगण ने उप–पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किए गए हों, इसका कोई प्रमाण नहीं है। स्वयं उप–पंजीयक पी डब्ल्यू 19 महेन्द्र कुमार मीणा द्वारा कथन किया गया है कि वे लोड़की देवी द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।

17. इसके अतिरिक्त जिस प्रदर्श पी 26 प्रार्थना पत्र द्वारा अभियुक्त हेमाराम द्वारा मिसल

संख्या 7, 34, 76 की प्रमाणित प्रति दिए जाने का प्रश्न है तथा प्रदर्श पी 26 पर हेमाराम के हस्ताक्षर एफ एस एल रिपोर्ट प्रदर्श पी 116 से साबित है, जिसके अनुसार प्रदर्श पी 26 पर हस्ताक्षर हेमाराम के हैं। परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर हेमाराम द्वारा पट्टे तथाकथित प्राप्त किए गए हों, ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली पर नहीं है।

18. पी डब्ल्यू 21 भंवर लाल जो कि ग्राम सेवक है, पक्षद्रोही हुआ है। इस गवाह ने जिरह में यह तो स्वीकार किया है कि हेमाराम ने प्रदर्श पी 26 प्रार्थना पत्र उसके समक्ष प्रस्तुत किया था, परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर मिसलों की नकल उसको दी गई हों, ऐसा साबित नहीं हुआ है। अभियोजन के इस सुझाव को सही होना बताया है कि उसे चार्ज में पट्टे नहीं मिले थे, न ही कोई पट्टे उपलब्ध थे। ऐसे में अभियोजन न्यायाललय के समक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि उक्त तथाकथित पट्टे ग्राम सेवक द्वारा अभियुक्त हेमाराम को दिए गए हों।

19. इसके अतिरिक्त प्रदर्श पी 11, 12 एवं 13 जो कि तथाकथित फर्जी पट्टे हैं, जो फोटो प्रतियां हैं, को जारी करने वाले उप–पंजीयक को न्यायालय के समक्ष उक्त पट्टे के संबंध में परीक्षित नहीं किया गया है। पी डब्ल्यू 19 महेन्द्र कुमार मीणा, उप–पंजीयक न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है, परन्तु अभियोजन ने प्रदर्श पी 11, 12 एवं 13 के संबंध में उसे परीक्षित नहीं करवाया है तथा यह साक्षी अपनी जिरह में उक् दस्तावेज लोड़की देवी द्वारा प्रस्तुत करने का कथन करता है।

20. इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण के कब्जे से तथाकथित फर्जी पट्टे बरामद नहीं किए गए हैं। केवल फोटो प्रतियां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत हुई हैं, के आधार पर कूटरचना बाबत अभियुक्तगण के विरुद्ध उपधारणा नहीं की जा सकती हैं।

21. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया था कि रजिस्ट्री प्रदर्श पी 07 लगायत 10 के निष्पादन के समय अभियाुक्तगण द्वारा पट्टे प्रदर्श पी 11 लगायत 13 प्रस्तुत किए गए हों, वरन् उप–पंजीयक पी डब्ल्यू 19 महेन्द्र कुमार मीण ने उक्त पट्टे अभियोक्त्रि लोड़की देवी द्वारा प्रस्तुत करना बताया है। न्यायालय के समक्ष उक्त तथाकथित कूटरचित पट्टों की केवल फोटो प्रतियां प्रस्तुत हुई हैं। उक्त तथाकथित फोटो प्रतियों के संबंध में उप–पंजीयक अधिकारी को परीक्षित भी नहीं करवाया है तथा अभियोजन का उक्त उप–पंजीयक पी डब्ल्यू 19 महेन्द्र कुमार मीणा से कोई प्रश्न मुख्य परीक्षा में नहीं पूछा गया है, न ही उक्त पट्टों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत कराई है। न्यायालय के समक्ष पट्टा प्रदर्श पी 11, 12 एवं 13 फोटो प्रतियां प्रस्तुत हुए हैं। यह विधि की सुस्थापित स्थिति है कि मूल दस्तावेजों के अभाव में यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि प्रश्नगत दस्तावेज कूटरचित हैं या नहीं।

22. प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के क्रम में ही प्रकरण के

अनुसंधान अधिकारीगण को परीक्षित करवागया है । जिसमें पी.डब्ल्यू. 16 गणेशाराम प्रकरण में आंशिक अनुसंधान करने वाला पुलिस अधिकारी है। गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि उसने अनुसंधान के दौरान कुछ गवाहों के बयान दर्ज किये तथा अनुसंधान में यह तथ्य सामने आया कि परिवादिया लोड़की देवी द्वारा दिनांक 18.05.2012 को ही गिरधारीराम के पक्ष में भी एक रजिस्ट्री करवाई गई थी। **जिरह** में गवाह एक महत्वपूर्ण तथ्य स्वीकार करता है कि उसके अनुसंधान में यह बात सामने आई थी कि गवाह महेन्द्र आदि ने अपने धारा 161 दं.प्र.सं. के बयानों में यह कहा था कि परिवादिया द्वारा विवादित रजिस्ट्रियाँ अभियुक्त रामस्वरूप के पक्ष में **प्रतिफल प्राप्त कर** करवाई गई थीं। यह तथ्य अभियोजन की उस मूल कहानी के विपरीत है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि परिवादिया से धोखे से अथवा पेंशन के बहाने रजिस्ट्री करवाई गई। अतः गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अनुसंधान के दौरान भी ऐसे तथ्य सामने आये जो अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं करते, बल्कि यह संकेत देते हैं कि रजिस्ट्रियाँ स्वेच्छा से प्रतिफल लेकर करवाई गई थीं।

23. इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू. 22 भीष्मराज आर्य प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जिसने इस्तगासा प्रदर्श पी–2 प्राप्त होने पर अनुसंधान प्रारम्भ किया। गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि उसने दौराने अनुसंधान नजरी नक्शा प्रदर्श पी–1 तैयार किया, गवाहों के बयान दर्ज किये, मूल पट्टों को फर्द के माध्यम से जब्त किया, अभियुक्त हेमाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र प्रदर्श पी–26 को फर्द जप्ती प्रदर्श पी–25 के जरिये जब्त किया तथा मूल रजिस्ट्रियाँ प्रदर्श पी–7 से प्रदर्श पी–10 को फर्द जप्ती प्रदर्श पी–30 के माध्यम से जब्त किया। गवाह द्वारा यह भी कथन किया गया है कि ग्राम सेवक से मिसलों की प्रमाणित प्रतियां प्रदर्श पी–17 से प्रदर्श पी–23 प्राप्त की गई तथा एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–115 एवं प्रदर्श पी–116 प्राप्त की गई। गवाह के अनुसार तथाकथित फर्जी पट्टे प्रदर्श पी–11 से प्रदर्श पी–13 की प्रमाणित प्रतियां उप–पंजीयक कार्यालय से प्राप्त की गईं, जिन्हें उसने अपने अनुसंधान में फर्जी पाया। **जिरह** में गवाह के कथनों का परीक्षण करने पर यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है कि गवाह यह स्वीकार करता है कि जिन दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त हेमाराम द्वारा नकल प्राप्त किये जाने का कथन किया गया है, उनके संबंध में ग्राम सेवक श्यामसुन्दर पी.डब्ल्यू. 21 ने स्वयं यह स्पष्ट नहीं किया कि उसने वास्तव में कोई दस्तावेज प्रदान किये थे या नहीं। गवाह यह भी स्वीकार करता है कि उक्त दस्तावेज अभियुक्त हेमाराम के कब्जे से बरामद नहीं हुए थे तथा न ही उसने उन दस्तावेजों को स्वयं अभियुक्त के पास देखा था। गवाह यह भी कथन करता है कि प्रदर्श पी–26 में वर्णित दस्तावेज बाद में ग्राम सेवक से प्राप्त किये गये थे, न कि सीधे अभियुक्त से। इस प्रकार गवाह के जिरह कथनों से यह स्पष्ट होता है कि कथित फर्जी पट्टों की बरामदगी अभियुक्तगण से नहीं हुई तथा उनकी कूटरचना की कड़ी भी अभियोजन द्वारा स्थापित नहीं की जा सकी।

अनुसंधान अधिकारी द्वारा यह तो कहा गया कि पट्टे फर्जी हैं, किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वे किसके द्वारा, कब और किस प्रकार तैयार किये गये। अतः गवाह पी.डब्ल्यू. 22 भीष्मराज आर्य की साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अनुसंधान में महत्वपूर्ण कड़ियाँ स्थापित नहीं की जा सकी तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध कूटरचना एवं धोखाधड़ी के आरोपों को ठोस रूप से सिद्ध करने हेतु आवश्यक साक्ष्य एकत्रित नहीं किये गये। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य अभियोजन के मामले को सुदृढ़ करने के बजाय उसमें संदेह उत्पन्न करती है।

24. हस्तगत प्रकरण में अभियोक्त्रि लोड़की देवी ने जिस दिन अभियुक्तगण के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित करवाई है, उसी दिन गिरधारीराम के पक्ष में प्रदर्श डी 01 भी निष्पादित करवाई है । ऐसे में उसका यह कथन कि उसकी पेंशन पांच सौ रुपए से एक हजार रुपए करवाने की प्रवंचना कर उसे डीडवाना ले जाकर रजिस्ट्रियां निष्पादित कराई गई थी, संदेह के घेरे में आ जाता है । उपरोक्त समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण करने पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन अपने आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। परिवादिया पी.डब्ल्यू. 05 लोड़की देवी की साक्ष्य स्वयं विरोधाभासी एवं अविश्वसनीय पाई गई है। एक ओर वह विवादित रजिस्ट्रीयों प्रदर्श पी–7 से प्रदर्श पी–10 तथा स्टाम्पों पर अपने अंगूठा निशान होना स्वीकार करती है, वहीं दूसरी ओर दस्तावेजों की जानकारी से पूर्णतः अनभिज्ञता व्यक्त करती है तथा पूर्व में अपने ही कथनों से मुकरती है। उसके कथनों में समय, घटनाक्रम एवं परिस्थितियों के संबंध में भी स्पष्ट असंगति पाई जाती है। अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी.डब्ल्यू. 08 कुम्भाराम, पी.डब्ल्यू. 02 हणुताराम, पी.डब्ल्यू. 03 अर्जुनराम, पी.डब्ल्यू. 04 अन्नाराम एवं पी.डब्ल्यू. 01 मांगीलाल की साक्ष्य मुख्यतः अनुश्रुत प्रकृति की है, जो प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती। इन गवाहों के कथनों में भी आपसी विरोधाभास एवं असंगति परिलक्षित होती है। गवाह पी.डब्ल्यू. 09 गिरधारीराम, पी.डब्ल्यू. 13 राकेश, पी.डब्ल्यू. 14 मोहनराम, पी.डब्ल्यू. 15 झूमरराम एवं पी.डब्ल्यू. 16 गणेशाराम की साक्ष्य से यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि परिवादिया द्वारा विवादित रजिस्ट्रियाँ **राजीखुशी एवं प्रतिफल प्राप्त कर** निष्पादित की गई थीं, जो अभियोजन के मूल कथन के विपरीत है। ग्राम सेवक पी.डब्ल्यू. 07 मोहनराम एवं पी.डब्ल्यू. 21 श्यामसुन्दर की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कथित फर्जी पट्टे वास्तव में अभियुक्तगण द्वारा तैयार किये गये थे। न ही कथित फर्जी दस्तावेज अभियुक्तों के कब्जे से बरामद हुए, जिससे कूटरचना की कड़ी स्थापित नहीं हो सकी। सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य पी.डब्ल्यू. 19 महेन्द्र कुमार (उप–पंजीयक) की है, जिसने स्पष्ट रूप से यह कहा कि विवादित रजिस्ट्रियाँ उसके समक्ष विधिपूर्वक निष्पादित हुईं तथा परिवादिया द्वारा प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा सौंपने का स्वीकार किया गया। रजिस्ट्री एक लोक दस्तावेज है, जिसकी विधिपूर्वक निष्पादन की विधिक उपधारणा होती है, जिसे अभियोजन द्वारा खंडित नहीं

किया जा सका। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 22 भीष्मराज आर्य की साक्ष्य से भी यह स्पष्ट होता है कि अनुसंधान में महत्वपूर्ण कड़ियाँ स्थापित नहीं की जा सकीं तथा कथित फर्जी पट्टों के निर्माण एवं उपयोग के संबंध में ठोस साक्ष्य एकत्रित नहीं किये गये। एफ.एस.एल. साक्ष्य भी अभियोजन के पक्ष को सुदृढ़ नहीं करता, क्योंकि हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान विवादित नहीं थे। इस प्रकार, समस्त साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध—धोखाधड़ी, कूटरचना एवं आपराधिक षड्यंत्र—संदेह से परे सिद्ध नहीं किये जा सके हैं। विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का समुचित एवं संतुलित मूल्यांकन करते हुए अभियुक्तगण रामस्वरूप, हेमाराम एवं कानाराम को दोषमुक्त घोषित किया गया है, जिसमें कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। अतः प्रस्तुत अपीलार्थी/परिवादिया एवं राज्य द्वारा प्रस्तुत अपीलें **निराधार पाई जाती हैं**, जो कि खारिज किया जाना मुनासिब समझा जाता है।

आदेश

25. परिणामतः अपीलार्थी/परिवादीया लोड़की देवी एवं राजस्थान राज्य की ओर से विचारण न्यायालय के फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 174/2013 राज्य बनाम रामस्वरूप वगैरह में पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 25.09.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपीलें एतद्द्वारा अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती हैं तथा विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण रामस्वरूप, हेमाराम और कानाराम की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत पारित दोषमुक्ति के निर्णय की पुष्टि की जाती है ।

26. अभियुक्त/प्रत्यर्थीगण को धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता (481 बी एन एस एस) के तहत अपील न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु छह माह तक वैध दस हजार रुपए का स्वयं का बंध पत्र और इसी कदर राशि की एक जमानत पेश कर तस्दीक कराने का आदेश दिया जाता है।

27. निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख सहित शीघ्र प्रेषित की जावे।

(राजेश कुमार गजरा)
अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
डीडवाना

28. आदेश आज दिनांक **08.04.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार गजरा)
अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
डीडवाना